तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
17/03/2021	पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन मय नकल जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/03/2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	
30/03/2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बालुराम पिता श्री भंवरलाल जी कुमावत जाति कुमावत आयु 30 वर्ष निवासी जावदा तहसील रावतभाटा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.) ने ग्राम जावदा, पटवार हल्का जावदा, भू० अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जावदा, तहसील रावतभाटा स्थित खातेदारी की खसरा संख्या 395/917 व 402 कुल किता 02 कुल रकबा 0.83 हे. की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु निवेदन किया है उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी बालुराम पिता श्री भंवरलाल जी कुमावत की ग्राम ग्राम जावदा, पटवार हल्का जावदा, भू० अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जावदा, तहसील रावतभाटा स्थित खसरा संख्या 395/917 व 402 कुल किता 02 कुल रकबा 0.83 हे. की बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेटलमेंट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिए जाते है। पत्थरगढ़ी खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। कमिश्नर शुल्क 500/- रुपये अक्षरे पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसूल हो। पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को लिखा जाए कि पक्षकारान को सूचित किया जाकर नियमानुसार उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी की जावें एवं कोई विवाद हो तो पुनः पेश करें। पालना प्राप्त हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	